न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण टेलर**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1– आपराधिक विविध सं0 : 80/2026

(सीआईएस नं0 152/2026 एवं CNR No. RJBR01000402-2026)

मुकिम पुत्र मजिद, आयु 40 वर्ष, निवासी खेडीकलां, तहसील फिरोजपुर झिरका, थाना पिनगवां, जिला नुह मेवात (हरियाणा) –प्रार्थी/अभियुक्त

2– आपराधिक विविध सं0 : 84/2026

(सीआईएस नं0 156/2026 एवं CNR No. RJBR01000410-2026)

धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा पुत्र आईदान, उम्र 38 वर्ष, निवासी महलडा बेरावास थाना नारायणपुरा, तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर जिला अलवर (राज0) –प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0)

–अप्रार्थी/विपक्षी

जमानत प्रार्थनापत्र **अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.**
एफ0आई0आर0 नं0 12/2026 पुलिस थाना भंवरगढ़
अपराध धारा 303(2) बी0एन0एस0

उपस्थितः–
1– श्री पोरस सिंह, अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त (उक्त दोनों जमानत आवेदन)की ओर से
2– श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक– अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से

––:: आदेश ::–– दिनांकः 10.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त मुकिम एवं प्रार्थी/अभियुक्त धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा की ओर से **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत ये पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना भंवरगढ़ की **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2026** अन्तर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 के सन्दर्भ में उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज द्वारा दिनांक **27.02.2026** को खारिज किये जाने के उपरांत इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं। साथ ही प्रार्थीगण के ये प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होने का प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिनकी नकले विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई जिनकी ओर से केस डायरी पेश हुई। चूंकि ये दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 12/2026 थाना भंवरगढ से संबंधित होने के कारण इन दोनों जमानत आवेदन का निस्तारण इस आदेश के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार बताये गए हैं कि दिनांक 03.02.2026 को फरियादी कल्याण पुत्र छोटूलाल ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय

की पेश की कि वह गांव डिकोनिया का रहने वाला है। कल रात दिनांक 03.02.2026 को उसने अपनी 18 भैसें जिनमें 10 दूध देने वाली और 8 पाडा पाडी थे, जिन्हें उनके गांव के पास प्लान्टेशन में चरने के लिये छोडा था। सुबह जब भैसें चरकर वापस नहीं आई तो वह भैसें देखने के लिए प्लान्टेशन में गया तो वहां पर भैसें नहीं मिली। तो उसके परिवार व गांव के लाला और गणपत और गोलू, प्रमेश और कल्याण ढूंढने गये तो उन्हें घट्टी रोड पे चोपना प्लान्टेशन का कोटा टूटा हुआ मिला और उन्हें वहां पर गाडी के जहिये के निशान मिले और वहां पर बनास की रेत भी ढुली हुई थी और अंगूर की थैली पडी थी और देसाई का बण्डन पडा हुआ था, तो उसे शक है कि उसकी भैसों को कोई अज्ञात व्यक्ति गाडी में भरकर चुरका ले गया.....इत्यादि।

3— उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भंवरगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 12/2026 अंतर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है।

4— केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त मुकिम का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना बताया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित अनुसार बताया गया है :—

क0 सं0	मु0नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नं0 दिनांक	फैसला
1	198/2022 थाना नारायणपुर	10.08.2022	341, 323 भा0दं0सं0	162/22 दिनांक 25.10.2022	जैर ट्रायल न्यायालय
2	94/2018 थाना विराटनगर	07.04.2018	279, 11 (1) डी पशु कूरता अधि.	84/18 दिनांक 10.04.2018	जैर ट्रायल न्यायालय
3	71/2016 थाना कोटपुतली	20.01.2016	11 पशु कूरता अधि.	22/16 दिनांक 31.01.2016	जैर ट्रायल न्यायालय
4	11/2015 थाना नीमकाथाना जिला सीकर	10.01.2015	11 क, ख पशु कूरता अधि.	4/15 दिनांक 31.01.2015	जैर ट्रायल न्यायालय
5	264/2014 थाना शाहजहांपुर जिला कोटपुतली बहरोड	16.09.2014	11 (1) ए डी पशु कूरता अधि.	231/14 दिनांक 26.09.2014	जैर ट्रायल न्यायालय

5— बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। प्रार्थी मुकिम ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राईविंग का कार्य करता है जो उक्त वाहन को बुकिंग पर लाया था, प्रार्थी मुकिम महज वाहन चालक है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया है जो दिनांक 23.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण के विरूद्ध बताये गए अपराध ऐसे नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान हो। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में

समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तो का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

6— वितर्क में विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

7— प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित विधि को विचार में लेते हुए अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

8— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 के आरोप होकर प्रकरण अनुसंधानाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार प्लान्टेशन पर चर रही 18 भैसों के चोरी का मामला है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज हुई है। प्रार्थीगण नामजद नहीं हैं। केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार प्रकरण में गिरफतारशुदा अभियुक्तगण मुकिम व धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अभियुक्तगण से भैस चोरी से प्राप्त हुई रकम 1,30,000/—रूपये बरामद किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त मुकिम का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना तथा प्रार्थी/अभियुक्त धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा के विरूद्ध पूर्व के उक्त 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना, जो सभी पेण्डिंग न्यायालय होना बताये गए हैं, जिसमें से प्रकरण संख्या 198/2022 थाना नारायणपुर धारा 341, 323 भा0दं0सं0 का है जबकि शेष प्रकरण 07 वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 23.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहे है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण की इस स्टेज पर गुणावगुण पर मत व्यक्त करना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

9— परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त मुकिम एवं प्रार्थी/अभियुक्त धर्मा उर्फ धर्मवीर बंजारा** की ओर से प्रस्तुत किये गए ये दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस** (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 12/2026 थाना भंवरगढ़) स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज की संतुष्टि अनुसार **पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये** की दो—दो जमानतें एवं **पचास—पचास हजार रूपये का** स्वयं का मुचलका न्यायालय में उपस्थिति बाबत् इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि—

- वे न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेंगे,
- ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकाएंगे या बरगलाएंगे,

आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यदि प्रार्थीगण अपराध की पुनर्रावृति करते हैं तो अभियोजन एवं फरियादी पक्ष को जमानत आवेदन निरस्त कराने का अधिकार होगा, तो उन्हे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

10— आदेश आज दिनांक **10.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

PRAMENDRA KUMAR GOYAL
sr. munshrim"Authenticated Document"
Digitally signed by PRAMENDRA KUMAR GOYAL.
Date: 2026.03.13 15:47:29 +0530